रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2214] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 12, 2015/आश्विन 20, 1937
No. 2214] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2015/ASVINA 20, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली,12 अक्तूबर, 2015

(आय-कर)

का.आ. 2791(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80घघख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 11घघ में उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रोगों या व्याधियों के संबंध में, निम्नलिखित विशेषज्ञों द्वारा नुस्खा जारी किया जाएगा : —

(*क*) उपनियम (1) के खंड (*i*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी न्यूरोलोजिस्ट द्वारा, जिसके पास न्यूरोलोजी में डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) डिग्री या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(*ख*) उपनियम (1) के खंड (*ii*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी आंकोलोजिस्ट द्वारा, जिसके पास आंकोलोजी में डाक्टरेट ऑफ मेडिसिन (डी.एम.) डिग्री या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(*ग*) उपनियम (1) के खंड (*iii*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी विशेषज्ञ द्वारा, जिसके पास साधारण या आंतरिक मेडिसिन में स्नात्तकोतर डिग्री या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(*घ*) उपनियम (1) के खंड (*iv*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी नेफ्रोलोजिस्ट द्वारा, जिसके पास नेफ्रोलोजी में डाक्टरेट आफ मेडिसिन (एम.डी.) की डिग्री हो या यूरोलोजिस्ट, जिसके पास यूरोलोजी में मास्टर आफ चाइरूरगेई (एम.सीएच) की डिग्री हो या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो ;

(ङ) उपनियम (1) के खंड (*v*) में वर्णित रोगों या व्याधियों के लिए—किसी विशेषज्ञ द्वारा, जिसके पास हेमेटोलोजी में डाक्टरेट आफ मेडिसिन (एम.डी.) या ऐसी कोई समतुल्य डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो :

परन्तु जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रोगों या व्याधियों में से किसी के संबंध में रोगी सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहा है, वहां उस अस्पताल में पूर्णकालिक रूप में कार्यरत किसी विशेषज्ञ द्वारा, जिसके पास साधारण या आंतरिक मेडिसन में स्नातकोत्तर डिग्री है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हो, नुस्खा जारी किया जा सकेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट नुस्खे में रोगी का नाम और आयु, नुस्खा जारी करने वाले विशेषज्ञ का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और अर्हता सहित रोग या व्याधि का नाम अंतर्विष्ट होगा :

परंतु जहां रोगी किसी सरकारी अस्पताल में उपचार प्राप्त कर रहा है, वहां नुस्खे में सरकारी अस्पताल का नाम और पता भी अंतर्विष्ट होगा ।"।

3. उक्त नियमों के परिशिष्ट II में, प्ररूप 10झ का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 78/2015/ फा.सं. 142/20/2015-टी.पी.एल.]

आरजू गरोडिया, अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण :– मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अधिसूचना सं. का.आ. 2663 (अ), तारीख 29 अक्तूबर, 2015 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2015

(Income-tax)

S.O. 2791(E). – In exercise of the powers conferred by section 295, read with section 80DDB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: **–**

1. (1) These rules may be called the Income-tax (15th Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11DD, for sub-rules (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely: **–**

"(2) The prescription in respect of the diseases or ailments specified in sub-rule (1) shall be issued by the following specialists:**–**

(a) for diseases or ailments mentioned in clause (*i*) of sub-rule (1) - a Neurologist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Neurology or any equivalent degree, which is recognised by the Medical Council of India;

(b) for diseases or ailments mentioned in clause (*ii*) of sub-rule (1) - an Oncologist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Oncology or any equivalent degree which is recognised by the Medical Council of India;

(c) for diseases or ailments mentioned in clause (iii) of sub-rule (1) - any specialist having a post-graduate degree in General or Internal Medicine, or any equivalent degree which is recognised by the Medical Council of India;

(d) for diseases or ailments mentioned in clause (*iv*) of sub-rule (1) - a Nephrologist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Nephrology or a Urologist having a Master of Chirurgiae (M.Ch.) degree in Urology or any equivalent degree, which is recognised by the Medical Council of India;

(e) for diseases or ailments mentioned in clause (*v*) of sub-rule (1) – a specialist having a Doctorate of Medicine (D.M.) degree in Hematology or any equivalent degree, which is recognised by the Medical Council of India:

Provided that where in respect of any diseases or ailments specified in sub-rule (1), the patient is receiving the treatment in a Government hospital, the prescription may be issued by any specialist working full-time in that hospital and having a post-graduate degree in General or Internal Medicine or any equivalent degree, which is recognised by the Medical Council of India.

(3) The prescription referred to in sub-rule (2) shall contain the name and age of the patient, name of the disease or ailment along with the name, address, registration number and the qualification of the specialist issuing the prescription:

Provided that where the patient is receiving the treatment in a Government hospital, such prescription shall also contain the name and address of the Government hospital."

3. In the said rules, in Appendix-II, Form No. 10-I shall be omitted.

[Notification No. 78/2015/F. No.142/20/2015-TPL]

ARJU GARODIA, Under Secy. (TPL)

Note .—The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962, and was last amended by vide notification number . S.O. 2663(E), dated the 29th October, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.